कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग सीतापुर।

पत्रांक 836 / 141   दिनांक, सीतापुर 24-8-2019।

सेवा में,

कार्य पालक इंजीनियर (निर्माण)
डी0 आर0 एम0 ऑफिस
उत्तर रेलवे मुरादाबाद।

विषयः– उत्तर रेलवे द्वारा सीतापुर केन्ट रोजा सेक्शन (कि0मी0 सं0 0.00 से 80.300 तक) रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में हरदोई वन प्रभाग में प्रस्तावित 6.1133 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35 वृक्षों के पातन, शाहजहॉपुर वन प्रभाग में प्रस्तावित 8.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग, एवं बाधक 8 वृक्षों के पातन, सीतापुर वन प्रभाग में प्रस्तावित 30.6259 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1203 वृक्षों के पातन तथा दक्षिण खीरी वन प्रभाग में प्रस्तावित 24.06 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 454 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 69.5992 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 1700 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/07/64/2019/एफ0सी0/240 दिनांक 14.08.2019, प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग दक्षिण खीरी का पत्रांक 961/33–1 दिनांक 21.08.2019,प्रभागीय वनाधिकारी शाहजहॉपुर का पत्रांक

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र मे अंकित शर्तों के अधीन निम्न प्रकार धनराशि जमा करने का कष्ट करें:–

कम संख्या	प्रभाग का नाम	भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.08.2019 के अनुसार शर्त संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल	एन0पी0वी0 की धनराशि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि	योग
1	सीतापुर	2, 3 (क)	30.6259	19171813	31567700	50739513
2	लखीमपुर खीरी	2, 3 (क)	24.06	15061560	12301120	27362680
3	हरदोई	2, 3 (क)	6.1133	3826926	2948782	6775708
4	शाहजहॉपुर	2, 3 (क)	8.80	5508800	2105271	7614071
	महायोग		69.5992	43569099	48922873	92491972

शर्त संख्या 3 (ख) के अनुसार शर्त संख्या–2 व 3(क) की कुल वांछित धनराशि रू 9,24,91,972.00 .00/–(रू0 नौ करोड चौबिस लाख इक्यान्नबे हजार नौ सौ बहत्तर मात्र) ई–पोर्टल के माध्यम से जनरेट आनलाईन ई–चालान के माध्यम से जमा कर, जमा की गयी धनराशि की ऑन लाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित संदर्भित पत्र में उल्लिखत समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या चार प्रतियों में निम्न प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, प्रस्ताव में प्रभावित कुल 1700 वृक्षों का छपान व्यय 10 रू0 प्रति वृक्ष की दर से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक के नाम बैंक ड्राफ्ट के मायम से जमा करना सुनिश्चित करें।

प्रारूप

कम संख्या	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3

(डॉ अनिरूद्ध पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
24/8/19 सीतापुर

पत्रांक   /   उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ ।
(2) मुख्य वन संरक्षक लखनऊ मण्डल उ0प्र0 लखनऊ।
(3) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहॉपुर को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
(4) प्रभागीय वनाधिकारी चित्रकुट वन प्रभाग चित्रकुट को परियोजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ अनिरूद्ध पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

Scanned by CamScanner

पत्रांक 8361 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) उप प्रभागीय वनाधिकारी बिसवॉ को भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित ।

(2) क्षेत्रीय वनाधिकारी, सीतापुर, महोली व हरगॉव को भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु मौके की स्थलीय जॉच कर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(डॉ अनिरुद्ध पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
24/8/19 सीतापुर

Scanned by CamScanner